

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 2]
No. 2]दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1999/पौष 11, 1920
DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1999/PAUSA 11, 1920[रा.रा.क्षि. सं. 1
[N.C.T.D. No. 1भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि व भवन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 1 जनवरी, 1999

सं. एफ-7 (9)/98/भू. व भ./भू. अ./13990.—जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का सार्वजनिक व्यवहार पर सरकार द्वारा गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड गैस पाईप लाइन को अग्रसर करने हेतु भूमि प्राप्त किया जाना संभावित है। अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिये भूमि अधिग्रहण किया जाना संभावित है।

यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन सर्व संबंधित के लिये प्रचलित की जाती है।

पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों और कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (1) के उपबंध इस भूमि पर लागू हैं, उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध लागू नहीं होंगे।

विशिष्ट विवरण

गांव का नाम	कुल क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)	खसरा नं.	क्षेत्र (बीघा-बिस्वा)
खेड़ा खुर्द	2-00	16/9 मिन	2-00

आदेश से

जे. के. रावल, उप-सचिव (भू. अ.)

LAND & BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st January, 1999

No. F.7(19)/98/L&B/LA/13990.—Whereas it appears to the Lt. Governor, Delhi that land is likely to be required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, namely, for Gas Pipeline Upgradation Project by Gas Authority of India Limited. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

The notification is made, under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and so all other acts required or permitted by that section.

The Lt. Governor is satisfied also that provisions of sub-section (1) of the section 17 of the said Act are applicable to this land and is further pleased under sub-section (4) of the said section to direct that all the provisions of section 5(A) shall not apply.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa)
Khera Khurd	2-00	16/9min	2-00

By Order and in the name of
Lt. Governor of NCT of Delhi
J. K. RAWAL, Dy. Secy (LA)